

27.8.2020

पञ्चवली पेश हुई। पुत्रिवाही सं.
1 ता 8 तथा 11 की ओर से श्री वसन्त कुमार
एड. ने कबलतनाम पेश किया जो शामिल फर्मा
किया गया। पुत्रिवाही सं. 9, 10, 12, 14 ता 17
के नोटिस बाबू शामिल प्राप्त हुये हैं जो शामिल
पञ्चवली किये गये। पञ्चवली कोविड-19 संक्रमण
के कारण निम्न ईकमाटी पेशी दिनांक 12/11/2020
को पेश हो।

05.01.2021

वकील वरिगण द्वारा पुण्य मिसल
तलबी पेश करने पर पञ्चवली निम्न ईकमाटी
तारीख पेशी दिनांक 21.1.2021 से लम्ब की जाकर
आज पेश हुई। वकील वरिगण ने पुण्य बाबू
दावा विद्वा पेश कर विवेकन किया कि उनका दावा

में वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपस में मिल
बैठकर शर्जीनामा कर लिया है। उनवानी दावा का
वादीगण आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रथम
पक्ष स्वीकार कर पञ्चादावा विद्वा भिन्ने जाने की
अनुमति प्रदान करें।

चूंकि वादीगण के अधिनाउत्साह परकारण
के मध्य शर्जीनामा हो चुका है और वादीगण
उक्त उनवानी दावे को आगे नहीं चलाना चाहते
हैं। अतः वादीगण की ओर से पुस्तुत पाण्डव
न्यायद्वित में स्वीकार किया जाकर दस्तावेज वापस
को विद्वा भिन्ने जाने की अनुमति प्रदान की जाती
है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर drop
की जाती है। पञ्चावली फॉर्मल शुमार होकर नम्बर
से काज हो तथा वाद तन्नील दारखिल दफ्तर हो।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश कुमार)
RMS

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

